▶ शनिवार से संचालन शुरू होने की उम्मीद, पर्यटकों में उत्साह

ट्रायल सफल, अब दौड़ेगी हेरिटेज ट्रेन

● इंदौर-महू / राज न्यूज नेटवर्क

पातालपानी-कालाकुंड हेरिटेज ट्रेन के दोबारा संचालन की तैयारियां अब अपने अंतिम चरण में हैं। गुरुवार दोपहर रेलवे अधिकारियों की मौजूदगी में इस हेरिटेज सेक्शन पर ट्रेन का सफल ट्रायल रन किया गया। निरीक्षण के दौरान ट्रैक की मजबूती, सिग्नलों की स्थिति और कोचों की सुरक्षा व्यवस्था को बारीकी से परखा गया, जिसके बाद ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई।

बीकानेर में हुआ कायाकल्प

हेरिटेज ट्रेन के सभी 6 कोचों को विशेष रखरखाव और कायाकल्प के लिए राजस्थान के बीकानेर वर्कशॉप भेजा गया था। पिछले सप्ताह मेंटेनेंस के बाद इन कोचों को इंदौर के लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन लाया गया। वहां से मालगाड़ी के जरिए इन्हें पातालपानी स्टेशन पहुंचाया गया, जहां कोचों को मालगाड़ी से उतारकर मीटरगेज ट्रैक पर स्थापित किया गया।

4 नॉन-एसी और 2 विस्टाडोम कोच बढ़ाएंगे सफर का रोमांचः पश्चिम रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार के अनुसार इस हेरिटेज ट्रेन में कुल 6 कोच शामिल रहेंगे। प्रकृति के खूबसूरत और विहंगम दृश्यों का 360-डिग्री व्यू देने के लिए इसमें 2 विशेष एसी विस्टाडोम कोच लगाए गए हैं। इसके अलावा बजट अनुकूल यात्रा के लिए 4 नॉन-एसी कोच भी ट्रेन का हिस्सा रहेंगे। रेलवे प्रशासन जल्द ही इसके नियमित संचालन का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर देगा, जिसके बाद आगामी शनिवार से पर्यटक इस रोमांचक सफर का आनंद ले सकेंगे।

क्षेत्र में रोजगार को लगेंगे पंख बुकिंग सिर्फ ऑनलाइन होगी

ट्रेन सेवा दोबारा बहाल होने से पातालपानी और कालाकुंड क्षेत्र में पर्यटकों की आमद तेजी से बढ़ेगी, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार, छोटे दुकानदारों और पर्यटन कारोबार को भारी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। रेलवे ने साफ किया है कि इस ट्रेन में सफर के लिए यात्रियों को सिर्फ आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप के जरिए ऑनलाइन एडवांस रिजर्वेशन कराना होगा। ऑफलाइन टिकट काउंटर की कोई व्यवस्था नहीं रहेगी।

सफर रोमांच से भरपूर

पातालपानी से कालाकुंड के बीच का यह 9.5 किलोमीटर का सफर घने जंगलों, घुमावदार घाटियों, चार ऐतिहासिक सुरंगों और पातालपानी झरने के ठीक पास से होकर गुजरता है। इसे देखने के लिए देशभर से सैलानी यहां पहुंचते हैं।

नगर भ्रमण पर पधारेंगे भगवान जगन्नाथ

सावन के चौथे सोमवार भी निकलेगी चक्की वाले बाबा की पालकी

● महू/ राज न्यूज नेटवर्क

सावन माह के चौथे सोमवार के पावन अवसर पर 24 अगस्त को नगर में चक्की वाले बाबा की भव्य और आलौकिक शाही पालकी यात्रा निकाली जाएगी। शाही सवारी भक्त मंडल, महू द्वारा आयोजित यह धार्मिक आयोजन इस वर्ष अपने 31वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, जिसे लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। शाही सवारी भक्त मंडल के पदाधिकारियों ने बताया कि यात्रा शाम 5 बजे चक्की वाले महादेव मंदिर से प्रारंभ होगी। इसके बाद पालकी यात्रा नगर के विभिन्न प्रमुख मार्गों और मुख्य बाजारों से होते हुए गुजरेगी, जहां जगह-जगह मंच बनाकर बाबा का स्वागत और आरती की जाएगी। भ्रमण के बाद सवारी पुनः चक्की वाले महादेव मंदिर पहुंचकर संपन्न होगी।

भगवान जगन्नाथ और सांवलिया सेठ होंगे मुख्य आकर्षणः इस वर्ष की शाही सवारी का मुख्य आकर्षण चक्की वाले बाबा के विशेष निमंत्रण पर पधार रहे भगवान जगन्नाथ जी एवं सांवलिया सेठ होंगे, जो स्वयं भक्तों को दर्शन देने नगर भ्रमण पर निकलेंगे। इसके साथ ही यात्रा में पंचमूर्ति शिवजी के दर्शन और विभिन्न धार्मिक प्रस्तुतियां श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहेंगी।

हर-हर मिलन रहेगा विशेष

यात्रा के दौरान मेन स्ट्रीट स्थित मुरली मनोहर मंदिर में हर-हर मिलन का विशेष और भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस दौरान हरि विष्णु रूप जगन्नाथ जी और हर शिव रूप चक्की वाले बाबा का मिलन कराया जाएगा, जो इस यात्रा का सबसे भावुक और दर्शनीय पल होता है। यह पूरा आयोजन महंत कैलाशचन्द्र शर्मा के मार्गदर्शन में संपन्न हो रहा है। शाही सवारी भक्त मंडल ने सभी नगरवासियों और धर्मप्रेमी जनता से अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर बाबा के दर्शन लाभ लेने और धर्म लाभ कमाने की अपील की है।

सनराइज टाउन से 1.54 लाख की शराब जब्त

महू में आबकारी विभाग के अमले ने रहवासी मकान में दी दबिश

● महू/ राज न्यूज नेटवर्क

क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आबकारी विभाग को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। विभाग की टीम ने सनराइज टाउन बंजारी स्थित एक रिहायशी मकान पर अचानक दबिश देकर भारी मात्रा में अवैध देशी और विदेशी शराब का जखीरा बरामद किया है। जब्त की गई कुल 34 पेटी शराब की बाजार कीमत लगभग 1 लाख 54 हजार 160 रुपए आंकी गई है। उपनिरीक्षक राजेश वट्टी के नेतृत्व में जब टीम ने मकान की तलाशी ली, तो वहां से अलग-अलग ब्रांड की देशी और विदेशी शराब बरामद हुई। आबकारी टीम ने मौके से व्हिस्की 4 पेटी, बियर 6 पेटी, देशी मदिरा प्लेन 16 पेटी, देशी मदिरा मसाला 8 पेटी समेत इस प्रकार कुल 34 पेटियों में रखी पाई गई। जिनमें 324 बल्क लीटर शराब जब्त की गई।

आबकारी विभाग ने आरोपियों के खिलाफ मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) और 34(2) के तहत गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है।

इनरव्हील क्लब ने दी 1.12 लाख रुपए की सहायता

महू। इनरव्हील क्लब महू ने गवली पलासिया स्थित सरस्वती शिशु मंदिर छात्रावास के विद्यार्थियों की सुविधा के लिए 1,12,500 रुपए का चेक विद्यालय प्रबंधन को भेंट किया। यह राशि छात्रावास के बच्चों के लिए बेंच एवं डेस्क उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदान की गई है। क्लब के इस सहयोग से विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए बेहतर एवं सुविधाजनक वातावरण मिल सकेगा। इस अवसर पर क्लब पदाधिकारियों ने कहा कि इनरव्हील क्लब सदैव सामाजिक और सेवा कार्यों के लिए तत्पर रहता है। विद्यार्थियों की शैक्षणिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से किया गया यह सहयोग उनके उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में उपयोगी साबित होगा। कार्यक्रम में पद्मा सोनी, जिला अध्यक्ष आरती जैन, पूर्व मंडल अध्यक्ष फातिमा कुरैशी, अध्यक्ष प्रीति खंडेलवाल, सुनीता सिकरवार, कृष्णा सोनी, किरण माहेश्वरी, स्वाति शारदा, मंजू होतवानी, किरण बंसल, अंजना बहेती, इंदिरा बैंकल एवं शालिनी जिंदल सहित क्लब की अनेक सदस्य उपस्थित रहीं।

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि GB AGRO INDUSTRIES, PLOT NO 1723, PANOLI GIDC, ANKLESHWAR, GUJARAT- 394116, द्वारा उर्वरक (खाद) विक्रय लाइसेंस प्राप्त करने हेतु कृषि विभाग, मध्य प्रदेश शासन के समक्ष उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया गया है, निम्नलिखित जल में घुलनशील उर्वरकों के मिश्रण का आयात और विनिर्माण करके मध्य प्रदेश राज्य में बिक्री करने वाले हैं जिसका विवरण निम्ननुसार है:

(1) NPK19:19:19 - GB NPK (2) NPK 20:20:20- GB NPK (3) NPK 13:40:13 - GB NPK (4) NPK 13:05:28 - GB NPK (5) NPK 08:16:39 - GB NPK (6) NPK 15:07:25 - GB NPK (7) NPK 00:06:20 - GB NPK (8) NPK 14:48:00 - GB NPK (9) NPK 05:55:17 - GB NPK (10) NPK 24:24:00 - GB NPK (11) NPK 28:14:06 - GB NPK (12) NPK 05:40:28 - GB NPK (13) NPK 12:30:10 - GB NPK (14) NPK 05:22:22 - GB NPK (15) NPK 05:05:43 - GB NPK (16) NPK 00:20:15 - GB NPK (17) NPK 00:30:30 - GB NPK (18) NPK 00:32:22 - GB NPK (19) NPK 6.5:6.5:33 - GB NPK (20) NPK 6.5:17:17 - GB NPK (21) NPK 16:16:16 - GB NPK (22) NPK 15:15:15 - GB NPK (23) NPK 00:21:18 - GB NPK (24) NPK 14:14:14 - GB NPK (25) NPK 6.5:44:6.5 - GB NPK (26) NPK 8.5:22:11 - GB NPK (27) NPK 15:08:08 - GB NPK (28) NPK 13:13:7.5 - GB NPK (29) NPK 21:21:00 - GB NPK (30) NPK 10:26:26 - GB NPK (31) NPK 12:32:16 - GB NPK (32) NPK 17:17:17 - GB NPK (33) NPK 20:10:10 - GB NPK (34) NPK 28:28:00 - GB NPK (35) NPK 12:33:08 - GB NPK (36) NPK 06:12:36 - GB NPK (37) NPK 12:05:06 - GB NPK (38) NPK 12:32:06 - GB NPK (39) NPK 08:30:30 - GB NPK 100% Water Soluble Mixture of Fertilizer

उपरोक्त विनिर्माण एवं आयात की गुणवत्ता The Fertilizer Control Order 1985 notification under S O 2900 (E) dated 24.10.15 के अनुसार है।

GB AGRO INDUSTRIES
Plot No 1723, Panoli GIDC, Ankleshwar, Gujarat-394116

// कार्यालय कलेक्टर (कॉलोनी सेल) जिला इंदौर //

क्रमांक / 2779 / का.से. / 2026 **विज्ञप्ति** इन्दौर, दिनांक. 20/08/2026

मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 / मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 उसके अधीन बनाए गए मध्यप्रदेश नगर पालिका (कॉलोनी विकास) नियम 2021 के अधीन प्रदाय नगर परिषद महूगांव, तहसील- डॉ. अम्बेडकर नगर महू जिला- इंदौर में स्थिति सर्वे क्रमांक 681/2/3, 681/2/1, 680/2/1/1, 680/2/1 कुल रकबा 0.700 हे. पर आवासीय भूखण्डीय विकास प्रयोजन की कॉलोनी • सी एम सिटी की विकास अनुज्ञा प्रदाय करने के आवेदन के संबंध में दावे-आपत्ति आमंत्रित करने बाबद्। जन सामान्य की जानकारी हेतु एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि आवेदक मेसर्स सी एम एस कन्स्ट्रक्शन तर्फे पार्टनर श्री अजय अग्रवाल पिता श्री चांदमल अग्रवाल पता:- 2/1, आनंद नगर चितावद रोड जिला इन्दौर (म.प्र.) द्वारा नीचे दी गई कॉलोनी की कॉलोनी विकास अनुज्ञा हेतु कलेक्टोरेट हेल्पलाईन, जिला- इन्दौर में दिनांक 22.07.2024 को आवेदन प्रस्तुत किया गया। 1. कॉलोनी का नाम :- सी एम सिटी 2. अवस्थिति (अवस्थिति/ग्राम का नाम एवं खसरा क्रमांक) :- नगर परिषद महूगांव, तहसील- डॉ. अम्बेडकर नगर महू जिला- इंदौर में स्थिति सर्वे क्रमांक 681/2/3, 681/2/1, 680/2/1/1, 680/2/1 कुल रकबा 0.700 हे। 3. विकास का प्रयोजन :- आवासीय भूखण्डीय विकास प्रयोजन। 4. पूर्व टीएण्डसीपी क्रमांक- संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय इन्दौर (म. प्र.) द्वारा स्वीकृत अभिन्यास पत्र क्रमांक / आईएनडीओपी 07112309155 दिनांक 14.02.2024 5. नवीन टीएण्डसीपी क्रमांक- संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय इन्दौर (म.प्र.) द्वारा स्वीकृत अभिन्यास पत्र-क्रमांक/ आईएनडीओएलपी-22072549998 दिनांक 16.06.2026 आवेदक द्वारा आवेदित भूमि के अभिन्यास में परिवर्तन कर संशोधित अभिन्यास टीएनसीपी विभाग से स्वीकृत कराकर संशोधित अभिन्यास अनुसार विकास अनुमति प्रदाय किये जाने का अनुरोध किया है।

उक्त के संबंध मे यदि किसी हितबद्ध व्यक्ति/सदस्य को नगर परिषद महूगांव, तहसील - डॉ. अम्बेडकर नगर महू जिला- इंदौर में स्थिति सर्वे क्रमांक 681/2/3, 681/2/1, 680/2/1/1, 680/2/1 कुल रकबा 0.700 हे. पर "सी एम सिटी" कॉलोनी की विकास अनुमति प्रदाय किये जाने में कोई आपत्ति हो अथवा किसी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा आवेदित भूमि पर किसी भूखण्ड का क्रय/विक्रय/विक्रय अनुबंध किया हो तो अपनी आपत्ति कलेक्टर कार्यालय के कक्ष क्रमांक 111 में कार्यालयीन समय में (अवकाश के दिनों को छोड़कर) सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। निर्धारित दिनांक या समय के पश्चात प्राप्त आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

संयुक्त कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी,
कॉलोनी सेल, जिला-इन्दौर

परिशिष्ट B - संख्यांक 2
जिला एवं सत्र न्यायालय इंदौर व्यावसायिक न्यायालय, इंदौर

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए समन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)

एमजेसी एवी/171/2026
मेसर्स विनीशियन रियल्टी एलएलपी तर्फे रुपेश राजपुत बनाम
संतोष पाटीदार

प्रेषिती-
Next Date: 02.09.2026

(1) सुमित महेश्वरी पिता जगदीश महेश्वरी (जिसे समन करना है)
५०१- ५०४, अपोलो चौराहा, जंजीरवाला चौराहा, इंदौर, इन्दौर, INDORE, MADHYA PRADESH
(2) मुकेश दिवेदी पिता हीरालाल दिवेदी (जिसे समन करना है)
५०१- ५०४, अपोलो चौराहा, जंजीरवाला चौराहा, इंदौर, इन्दौर, INDORE, MADHYA PRADESH
(3) मेसर्स त्रिकोणमिति रियलिटी इंटरनेशनल प्रायवेट लिमिटेड तर्फे डायरेक्टर पत्नी (जिसे समन करना है)
५०१- ५०४, अपोलो चौराहा, जंजीरवाला चौराहा, इंदौर, इन्दौर, INDORE, MADHYA PRADESH

मेसर्स विनीशियन रियल्टी एलएलपी तर्फे रुपेश राजपुत ने आपके विरूद्ध के लिए वाद संस्थित किया है। आपको इस न्यायालय में तारीख 02-09-2026 को 10:30 AM बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) होने के लिए समन किया जाता है आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक अनुदेश दिए गए हों और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान् प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन दाखिल करें और उस दिन ऐसी सब दस्तावेजें जो आपके कब्जे या शक्ति में हैं पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो या न हो, अपनी प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों की, लिखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा। यह आज तारीख 11-08-2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

अमित सिंह सिसोदिया
व्यावसायिक न्यायालय

कृपया ध्यान दें-
1.यदि आपको यह आशंका है कि आपके साक्षी अपनी मर्जी से हाजिर नहीं होंगे तो आप किसी साक्षी को हाजिर होने के लिए विवश करने के लिए और ऐसी कोई दस्तावेज पेश कराने के लिए, जिसे पेश करने के लिए सांक्षी से अपेक्षा करने का आपको अधिकार है, समन इस न्यायालय से आवेदन करके और आवश्यक व्ययों की रकम जमा करके ले सकते है।
2. यदि आप दावे को स्वीकार करते हैं तो आपको चाहिए कि वाद के खर्चे के साथ उस दावे का धन न्यायालय में जमा कर दें जिससे कि डिक्री का निष्पादन स्वयं आपके या आपकी सम्पत्ति या दोनों के विरूद्ध न करना पड़े।
3. नोट - यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय को अवकाश पर होगा तो आगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जायेगा

गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय छठा तल, बी बिल्डिंग, गंगा ट्रूनो, लोहेगांव, पुणे, महाराष्ट्र 411014
शाखा कार्यालय इकाईः प्रथम तल, एसपी टॉवर, रविन्द्र नगर, जवाहर मार्ग, खरगौन, मध्य प्रदेश – 451001

ई–नीलामी – बिक्री सूचना
सरफेसी अधिनियम के तहत सुरक्षित अचल संपत्तियों का बिक्री

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (''अधिनियम'') के अंतर्गत अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी बिक्री सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के साथ पठित।
इसके द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/बंधककर्ता/गारंटर(यों) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियां **गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** (जिसे अधिनियम के अनुसार आगे ''सुरक्षित लेनदार'' कहा जाएगा) को गिरवी रखी गई हैं, जिसका कब्जा **अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम के नियम 8 और 9 के साथ पठित, अधिनियम की धारा 13(2) के तहत** सूचना के अनुसरण में सुरक्षित लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है। सुरक्षित संपत्तियाँ **''जहाँ है जैसी है'', ''जैसी है वैसी है'' और ''जो कुछ भी है'' के आधार पर 22–09–2026** को ई–नीलामी के माध्यम से बेची जाएँगी। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हम **https://www.bankeauctions.com** वेबसाइट पर उपलब्ध ई–नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सार्वजनिक नीलामी करने जा रहे हैं।
बिक्री की विस्तृत नियम व शर्तों के लिए, कृपया GHFL/सुरक्षित ऋणदाता की वेबसाइट www.grihumhousing.com पर दिए गए लिंक का संदर्भ देखें।

सं. क्रं.	प्रस्ताव संख्या ग्राहक का नाम (ए)	मांग सूचना तिथि एवं बकाया राशि (बी)	कब्जे की प्रकृति {सी}	संपत्ति का विवरण {डी}	आरक्षित मूल्य (ई)	ईएमडी (आरपी का 10%) (एफ)	ईएमडी जमा करने की तिथि (जी)	वृद्धिशील बोली {एच}	संपत्ति निरीक्षण का दिनांक एवं समय {आई}	नीलामी की तिथि और समय (जे)	ज्ञात भार/न्यायालयी न मामले, यदि कोई हों (के)
1	लोन नंबर HF0229H20100419 रूपेश पाटीदार (ऋणकर्ता) भारती पाटीदार (सह–ऋणकर्ता)	नोटिस की तारीखः 11–12–2025 कुल बकाया:रुपये 1252255/– (रुपये बारह लाख बावन हजार दो सौ पचपन मात्र) 11–12–2025 तक और साथ में 14.85% सालाना ब्याज, जब तक कि भुगतान हो जाए।	भौतिक	प्रॉपर्टी का वह पूरा टुकड़ा जो आवासीय है, रॉक ग्राउंड फ्लोर पर बना हुआ घर, ग्राम छोटी खरगोन में स्थित, पी.एच. नं. 17/43, मकान नं. 166, वार्ड नं. 05, ग्राम पंचायत छोटी खरगोन के अंतर्गत तहसील –महेश्वर, जिला–खरगोन। समस्त चल और प्राप्य संपत्तियों, उन पर स्थित सभी विद्यमान भवन और संरचनाएं और संबंधित बंधक की तिथि से/के बाद किसी भी समय वहां पर बनाई/निर्मित की जाने वाली इमारतें और संरचनाएं और उनके सभी परिवर्धन और सभी जुड़नार और भविष्य जो पृथ्वी से जुड़े हों या पृथ्वी से जुड़ी किसी भी चीज से स्थायी रूप से जुड़े हों, वर्तमान और भविष्य दोनों और निम्नानुसार घिरे हों: उत्तर में सड़क, दक्षिण में प्रवीण पाटीदार का मकान... पूर्व में नरेंद्र पाटीदार का मकान, पश्चिम में अखिलेश पटेल का मकान, उत्तर की ओर पूर्व से पश्चिम – 20 फीट, दक्षिण की ओर पूर्व से पश्चिम – 20 फीट, पूर्व की ओर उत्तर से दक्षिण – 60 फीट, पश्चिम की ओर उत्तर से दक्षिण 60 फीट: कुल क्षेत्रफल–1200 वर्ग फुट। एफ.एल., 11.1.53 वर्ग मीटर, आरसीसी ग्राउंड फ्लोर निर्मित क्षेत्र 1200 वर्ग फीट, 111:53 वर्ग मीटर।	रू. 1680000.00/– (रुपये सोलह लाख अस्सी हजार मात्र)	रू. 168000.00/– (रुपये एक दस अड़सठ हजार मात्र)	21-09-2026 शाम 5 बजे से पहले	10,000/–	16-09-2026 (सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक)	22-09-2026 (सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक)	निरंक

इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों को सलाह दी जाती है कि वे सुरक्षित ऋणदाता शाखा और नीलामी संपत्तियों पर जाएँ, अपनी स्वयं की जाँच करें और अतिरिक्त शुल्क, भार और किसी भी तृतीय–पक्ष के हितों का पता लगाएँ और बोली जमा करने से पहले सभी पहलुओं से स्वयं संतुष्ट हो लें। संपत्ति कर, बिजली/पानी के बिल और संपत्ति से जुड़े अन्य सभी बकाया, यदि कोई हों, जैसे सभी वैधानिक बकाया, सफल बोलीदाता द्वारा पता लगाकर चुकाए जाने चाहिए।
इच्छुक बोलीदाताओं को पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करना होगा और नीलामी सेवा प्रदाता (सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) पता– प्लॉट संख्या–68, तीसरी मंजिल, गुड़गांव, हरियाणा–122003। हेल्पलाइन नंबर–7291981124,25,26 सहायता ईमेल आईडी–Support@bankeauctions.com, **संपर्क व्यक्ति– संपर्क व्यक्ति–धरणी पी, ईमेल आईडी– dharani.p@c1india.com संपर्क नंबर–9948182222** से लॉगिन आईडी और पासवर्ड, जो ई–बोली के लिए अनिवार्य है, पहले ही प्राप्त कर लेना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि संभावित बोलीदाता उनसे ई–नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इच्छुक खरीदार/बोलीदाता को बयाना राशि (ईएमडी) जमा करनी होगी। एनईएफटी/आरटीजीएस/डीडी ''गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड–नीलामी आय खाता," बैंक–आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड खाता संख्या–091551000028 और आईएफएससी कोड– ICIC0000915, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, पंचशील टेक पार्क, गणपति चौक के पास, 43/44 विमन नगर–411014 के खाते में किसी भी राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित बैंक से **21–09–2026** से पहले जमा करें और **https://www.bankeauctions.com** पर अपना नाम पंजीकृत करें और निःशुल्क यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करें और सेवा प्रदाता से ई–नीलामी का प्रशिक्षण प्राप्त करें। वेबसाइट पर पंजीकरण के बाद, इच्छुक क्रेता/बोलीदाता को निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां ई–मेल पर अपलोड करवानी होंगी और स्व–सत्यापित हार्ड कॉपी पते पर भेजनी होगीः **पताः प्रथम तल, एसपी टॉवर, रविन्द्र नगर, जवाहर मार्ग, खरगौन, मध्य प्रदेश – 451001 मोबाइल नंबर +91 8281138143 ई–मेल आईडी p.adith@grihumhousing.com नियमों और शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया ई–नीलामी में भाग लेने के लिए https://www.bankeauctions.com और www.grihumhousing.com पर जाएँ।**
इस सूचना को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम–2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत ऋणी/सह–ऋणी/बंधककर्ता/गारंटर को 30 (तीस) दिन का नोटिस भी माना जाना चाहिए।
किसी भी मामले में यदि स्थानीय भाषा के प्रकाशन और अंग्रेजी समाचार पत्र प्रकाशन की सामग्री में कोई अंतर है, तो फ्री प्रेस जर्नल में प्रकाशित अंग्रेजी समाचार पत्र भाषा की सामग्री मान्य होगी।
दिनांकः 21.08.2026
स्थानः खरगौन (म.प्र.)

हस्ता/– प्राधिकृत अधिकारी,
गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

Arcil
Premier ARC

एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (आर्सिल)
विभिन्न आर्सिल ट्रस्टों के ट्रस्टी के तौर पर काम कर रहा है
पंजीकृत कार्यालय: द रूबी, 10वां तल, 29 सेनापति बापट मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई – 400028.
शाखा कार्यालय: 610, सन स्कवायर, होटल रीजेंटा सेंट्रल के पास, ऑफ सी.जी. रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद – 380006.
वेबसाइट: https://auction.arcil.co.in सीआईएन: U65999MH2002PLC134884

ऑनलाइन ई–ऑक्शन के जरिए बिक्री के लिए पब्लिक नोटिस
सिक्योरिटाइजेशन एंड रीकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 (सरफेसी अधिनियम) के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्स, 2002 के नियम 6, 8 और 9 के साथ पढ़ें

आम जनता और खास तौर पर ऋणकर्ता (ओं) / गारंटर (ओं) / गिरवीकर्ता (ओं) को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे बताई गई अचल संपत्ति एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, के पास गिरवी है। जो अलग–अलग आर्सिल ट्रस्ट्स ("आर्सिल") के ट्रस्टी के तौर पर काम कर रहा है (रजिस्टर्ड असाइनमेंट एग्रीमेंट्स के जरिए फाइनेंशियल एसेट के असाइनमेंट के अनुसार), को ऑनलाइन ई–ऑक्शन के जरिए "जैसा है जहाँ है", "जैसा है जैसा है", "जो कुछ भी है" और "बिना किसी सहारे के" बेचा जाएगा। यह बकाया रकम, साथ ही आगे का ब्याज, चार्ज और लागत वगैरह वसूलने के लिए होगा, जैसा कि नीचे सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 ("एक्ट") के नियमों के अनुसार बताया गया है, जिसे सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्स, 2002 ("रूल्स") के नियम 6, 8 और 9 के साथ पढ़ा जाएगा।

सं. क्रं.	ऋणकर्ता / सह–ऋणकर्ता / गारंटर / गिरवीकर्ता का नाम	ऋण खाता सं. और सेलिंग बैंक	ट्रस्ट का नाम	सरफेसी नोटिस के अनुसार बकाया रकम	कब्जे का प्रकार और तारीख	निरीक्षण की तारीख और तारीख	प्रॉपर्टी का प्रकार और क्षेत्र/प्रॉपर्टी की प्रकृति	गिरवी का प्रकार	अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (EMD)	रिजर्व प्राइस	ई–ऑक्शन की तारीख और समय
1	एडलीना चौहान/ जॉन अर्नेस्ट राज	20008140005468 बंधन बैंक	आर्सिल–2024सी –004 –ट्रस्ट	रू. 4,02,715.13/– (रूपये चार लाख दो हजार सात सौ पंद्रह और तेरह पैसे सिर्फ) 10–दिसं.–21 + उस पर भावी ब्याज + विधिक व्यय	भौतिक अधिग्रहण 05/06/2023	निवेदन पर प्रबंध किया जायेगा।	भूमि क्षेत्र 263 वर्ग फुट स्वतंत्र मकान	रजिस्टर्ड	रू. 36,500/– (रूपये छत्तीस हजार पांच सौ मात्र)	रू. 3,65,000/– (रूपये तीन लाख पैंसठ हजार मात्र)	21–09–2026 दोपहर 12:15

नीलाम की जा रही सुरक्षित संपत्ति का विवरण: रेजिडेंशियल फ्लैट/यूनिट नंबर एस–17 (EWS/इनफॉर्मल एरिया) का वह पूरा हिस्सा जो सर्वे नंबर 86/1, 86/2 और 86/5, पटवारी हल्का नंबर 19, पुराना और नया नंबर 38 वाली जमीन पर बनी रेजिडेंशियल मल्टी–स्टोरी बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पर है, जो शंखेश्वर सिटी, गाँव जख्या, तहसील सांवेर, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश में है। इस फ्लैट का बिल्ट–अप एरिया 263 वर्ग फुट (24.44 वर्ग मी.) है और साथ ही बिल्डिंग के कॉमन एरिया और सुविधाओं, जिसमें खुली जगहें, सीढ़ियाँ, रास्ते और दूसरी कॉमन सुविधाएँ शामिल हैं, का इस्तेमाल करने और मजे करने का बराबर और मिला–जुला अधिकार दूसरे फ्लैट मालिकों/रहने वालों के साथ है। पार्टीशन की दीवारें, फर्श और छत कॉमन/शेयर्ड हैं। इस फ्लैट में आने–जाने का अधिकार बिल्डिंग के सामने वाली सड़क तक जाने वाली कॉमन सीढ़ी और रास्ते से होगा। प्रॉपर्टी एक रेजिडेंशियल एरिया में है और सिर्फ रेजिडेंशियल इस्तेमाल के लिए है। इस प्रॉपर्टी में टेरेस/रूफ के अधिकार शामिल नहीं हैं। बिल्डिंग में लिफ्ट/एलिवेटर की सुविधा नहीं है। प्रॉपर्टी की बाउंड्री **पूरब** फ्लैट/यूनिट नंबर एस–18 **पश्चिम** फ्लैट/यूनिट नंबर एस–16 **उत्तर** खुली जगह **दक्षिण** खुली जगह जमीन–263 वर्ग फुट प्रॉपर्टी एडलीना चौहान पत्नी कमलेश चौहान की है।

आर्सिल को पता पेंडिंग लिटिगेशन	ज्ञात नहीं	**आर्सिल को ज्ञात भार/ शेष ऋण**	ज्ञात नहीं
बिड जमा करने की आखिरी तारीख	उसी दिन नीलामी के 2 घंटे पूर्व	**बिड इंक्रीमेंट अमाउंट:**	जैसा बिड दस्तावेज में बताया गया है
डिमांड ड्राफ्ट इसके नाम पर बनाया जाना चाहिए:	आर्सिल–2024–C-004–ट्रस्ट		**भुगतान करने का पताः इंदौर / पार**
आरटीजीएस विवरण	**अकाउंट नंबरः 57500001409112, बैंक का नामः एचडीएफसी बैंक, आईएफएससी कोडः HDFC0000542, ब्रांच का पता: कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल–400013**		
संपर्क सूत्र का नाम और नंबरः	**इकबाल आलम – 9958195453 (iqbal.alam@arcil.co.in), शिखर श्रीवास्तव–7000245690 (shikhar.shrivastava@arcil.co.in)**		

सं. क्रं.	ऋणकर्ता / सह–ऋणकर्ता / गारंटर / गिरवीकर्ता का नाम	ऋण खाता सं. और सेलिंग बैंक	ट्रस्ट का नाम	सरफेसी नोटिस के अनुसार बकाया रकम	कब्जे का प्रकार और तारीख	निरीक्षण की तारीख और तारीख	प्रॉपर्टी का प्रकार और क्षेत्र/प्रॉपर्टी की प्रकृति	गिरवी का प्रकार	अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (EMD)	रिजर्व प्राइस	ई–ऑक्शन की तारीख और समय
2	आदर्श लखन / पूनम लखन / मुस्कान लखन / और श्री राजू लखन की संपत्ति और एस्टेट के टाइटल में सभी अन्य फर्स्ट लाईन लीगल वारिस और उत्तराधिकारी	20008180003698 बंधन बैंक	आर्सिल–2024सी –004 –ट्रस्ट	रू. 15,96,717.84/– (रूपये पंद्रह लाख छियानवे हजार सात सौ सत्रह और पैसे चौरासी मात्र) 20–अक्टूबर–20 तक + उस पर भावी ब्याज + विधिक व्यय	भौतिक अधिग्रहण 25–02–2022	निवेदन पर प्रबंध किया जायेगा।	भूमि क्षेत्र 532 बीयूए 1000 स्वतंत्र मकान	रजिस्टर्ड	रू. 83,600/– (रूपये तिरासी हजार छह सौ मात्र)	रू. 8,36,000/– (रूपये आठ लाख छत्तीस हजार मात्र)	22–09–2026 दोपहर 05:15

नीलाम की जा रही सुरक्षित संपत्ति का विवरणः प्लॉट नंबर 69 का पूर्वी हिस्सा और उस पर बना आवासीय मकान, कृष्णापुरी कॉलोनी, सेक्टर–A, गाँव कोदरिया, ग्राम पंचायत कोदरिया, तहसील महू, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश में है। इस प्लॉट का माप उत्तर की ओर पूरब से पश्चिम की ओर 11.6 फीट, दक्षिण की ओर पूरब से पश्चिम की ओर 15 फीट, और उत्तर से दक्षिण की ओर 40 फीट, है, जिसका कुल माप 532 वर्ग फुट (49.44 वर्ग मी.) है। पूरी प्रॉपर्टी पर ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के साथ आरसीसी छत वाला रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन बनाया गया है, और सेकंड फ्लोर पर 10 फीट x 10 फीट, यानी 100 वर्ग फुट (9.29 वर्ग मी.) का एक टावर स्ट्रक्चर भी बनाया गया है, जिसकी छत आरसीसी की है। यह प्लॉट और उस पर बना रहने का घर मालिक की पूरी तरह से प्राइवेट प्रॉपर्टी है और इसके पूरे मालिकाना हक हैं। प्रॉपर्टी में आने–जाने का रास्ता कॉलोनी रोड से है जो इसके उत्तरी तरफ है। प्रॉपर्टी एक रहने वाले इलाके में है और सभी अधिकारों, सुविधाओं और सामान के साथ रहने के लिए है। प्रॉपर्टी की सीमाएं पूरब प्लॉट नंबर 68 पश्चिम प्लॉट नंबर 69 का बचा हुआ हिस्सा उत्तर कॉलोनी रोड दक्षिण प्लॉट नंबर 70 और 71 जमीन–532 वर्ग फुट/बीयूए–1000 वर्ग फुट प्रॉपर्टी पूनम लखन की है।

आर्सिल को पता पेंडिंग लिटिगेशन	ज्ञात नहीं	**आर्सिल को ज्ञात भार/ शेष ऋण**	ज्ञात नहीं
बिड जमा करने की आखिरी तारीख	उसी दिन नीलामी के 2 घंटे पूर्व	**बिड इंक्रीमेंट अमाउंट:**	जैसा बिड दस्तावेज में बताया गया है
डिमांड ड्राफ्ट इसके नाम पर बनाया जाना चाहिए:	आर्सिल–2024–C-004–ट्रस्ट		**भुगतान करने का पताः इंदौर / पार**
आरटीजीएस विवरण	**अकाउंट नंबरः 57500001409112, बैंक का नामः एचडीएफसी बैंक, आईएफएससी कोडः HDFC0000542, ब्रांच का पता: कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल–400013**		
संपर्क सूत्र का नाम और नंबरः	**इकबाल आलम – 9958195453 (iqbal.alam@arcil.co.in), शिखर श्रीवास्तव–7000245690 (shikhar.shrivastava@arcil.co.in)**		

नियम और शर्तें:
1. ऑक्शन सेल वेबसाइट **https://auction.arcil.co.in** के जरिए ई–ऑक्शन के जरिए और बिड डॉक्यूमेंट के नियमों और शर्तों के अनुसार, और उसमें बताए गए तरीके के अनुसार की जा रही है।
2. प्राधिकृत अधिकारी ("AO") / आर्सिल इंटरनेट कनेक्टिविटी, नेटवर्क की दिक्कतों, सिस्टम क्रैश होने, बिजली जाने वगैरह के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
3. ऑक्शन के किसी भी स्टेज पर, प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए और बिना किसी पहले से सूचना के बिड/ऑफर को स्वीकार/अस्वीकार/परिवर्तन/निरस्त कर सकता है या ऑक्शन को आगे बढ़ा सकता है।
4. सफल खरीदार/बोली लगाने वाले को कोई भी कानूनी बकाया, टैक्स, देय फीस, खरीद की कीमत पर लागू जीएसटी, स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस, अनरजिस्टर्ड मॉर्गेज के मामले में मॉर्गेज फीस, वगैरह देना होगा, जो लागू कानून के अनुसार सिक्योर्ड एसेट को उसके/उसके/उसके पक्ष में पहुंचाने / डिलीवर करने के लिए देना जरूरी है।
5. इच्छुक बोलीकर्ताओं अपनी बोली जमा करने से पहले, भार, सिक्योर्ड एसेट के टाइटल और सिक्योर्ड एसेट पर असर डालने वाले क्लेम/राइट/ड्यूज, जिसमें सांविधिक अधिभार वगैरह शामिल हैं, के बारे में अपनी अलग से जांच/उचित परिश्रम कर लेनी चाहिए। नीलामी का विज्ञापन आर्सिल का कोई कमिटमेंट या कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है और न ही होगा। आर्सिल का प्राधिकृत अधिकारी किसी भी थर्ड–पार्टी क्लेम/राइट/ड्यूज के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।
6. अखबार में छपे नीलामी नोटिस में बताई गई जानकारी अधोहस्ताक्षरकर्ता की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताई गई है, हालांकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता किसी भी गलती, गलत बयान या चूक के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।
7. ऊपर बताई गई ऑक्शन सेल के आयोजन के बारे में ऋणकर्ता/गारंटर/मॉर्गेजर, जो बताए गए बकाया ड्यूज के लिए जिम्मेदार हैं, सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्स, के रूल्स 8 और 9 के तहत इस सेल नोटिस को एक नोटिस मानेंगे।
8. अगर ऊपर तय ऑक्शन किसी भी वजह से फेल हो जाता है, तो आर्सिल को रूल्स के रूल 8(5) और एक्ट के प्रोविजन के तहत किसी भी दूसरे तरीके से सिक्योर्ड एसेट को बेचने का अधिकार है।

स्थानः इंदौर
दिनांकः 21.08.2026

हस्ता/–
प्राधिकृत अधिकारी,
एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड